

सी.जी.-एम.एच.-अ.-02042025-262218 CG-MH-E-02042025-262218

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270] No. 270] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 2025/ चैत्र 11, 1947

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 2025/ CHAITRA 11, 1947

## भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

## अधिसूचना

मुंबई, अप्रैल 1, 2025

## भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2025

- सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/240.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 तथा धारा 12 के साथ पठित धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:—
- 1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- 2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- 3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 में,-
  - (1) विनियम 4 में, उप-विनियम (2) में, खंड (ङ) में, उप-खंड (v) में,
    - (क) चिह्न ";" के स्थान पर चिह्न ":" आ जाएगा; और
    - (ख) निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा -

2296 GI/2025 (1)

"परंतु यह कि यदि निवेश प्रबंधक के यहाँ स्वतंत्र निदेशक का पद खाली हो जाने की वजह से, निवेश प्रबंधक के स्तर पर इससे संबंधित प्रावधान का पालन न हो पा रहा हो, तो ऐसे में निवेश प्रबंधक वह खाली पद निम्नानुसार भरेगा -

- क. यदि स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल समाप्त हो जाने की वजह से पद खाली हो रहा हो, तो ऐसे में वह पद उस तारीख तक अवश्य भरना होगा जिस तारीख को वह खाली होने वाला हो; या
- ख. यदि वह पद किसी और वजह से खाली हो रहा हो, तो ऐसे में वह पद जल्द से जल्द, किंतु पद खाली होने की तारीख से तीन महीनों की अवधि के भीतर, भरना होगा।"
- (2) विनियम 9 में, उप-विनियम (22) के बाद, निम्नलिखित नए उप-विनियम जोड़े जाएँगे, अर्थात्,— "(23) ट्रस्टी (न्यासी),-
  - (क) उन मूल सिद्धाँतों का पालन करेगा, जिनके अंतर्गत उसकी भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ तय की गई हों, जिनमें शामिल हैं – पारदर्शिता सुनिश्चित करना, जवाबदेही तय करना, पूरी सावधानी बरतना (ड्यू डिलिजेंस करना) और इन विनियमों (रेग्यूलेशन) का पालन करना; और
  - (ख) भरोसा कायम रखते हुए (फिडूशियरी कपैसिटी से) कामकाज निष्पक्ष होकर करेगा, इस बात को पूरी तवज्जो देगा कि यूनिटधारकों के हितों पर कोई आंच न आए, यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश प्रबंधक तथा इनविट के स्तर पर कामकाज सही तरीके से चले और साथ ही निवेश प्रबंधक तथा इनविट के यहाँ कामकाज के संचालन (गवर्नेंस) का बेहतरीन स्तर बना रहे।

स्पष्टीकरण:- इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ.-

- (क) ट्रस्टी की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ क्या-क्या हो सकती हैं, इसकी सूची उदाहरण के तौर पर अनुसूची-X में दी हुई है; और
- (ख) न्यासी ऐसे कुछ और कदम भी उठाएगा या ऐसी कुछ और जिम्मेदारियाँ भी निभाएगा, जो सिद्धाँतों के लिहाज से जरूरी हों:

परंतु यह कि यह उप-विनियम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2025 के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से एक सौ अस्सीवें दिन लागू होगा।

(24) उप-विनियम (23) का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, ट्रस्टी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2025 के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से अठारह महीनों की अविध के दौरान, बाहरी परामर्शदाताओं (कंसल्टेंट) की सेवाएँ ले सकेगा।"

(3) विनियम 12 में, उप-विनियम (5) में, निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण जोड़े जाएंगे, अर्थात्,—

"परंतु यह कि प्रायोजक (स्पॉन्सर) या उसके प्रायोजक समूह (स्पॉन्सर ग्रुप) की एंटिटियों के पास जो यूनिटें हों यदि वे लॉक-इन रखी हुई हों, तो उन्हें केवल ऐसे प्रायोजक (स्पॉन्सर) या उसके प्रायोजक समूह (स्पॉन्सर ग्रुप) की एंटिटियों के बीच आपस में ही अंतरित (ट्रांसफर) किया जा सकेगा, बशर्ते कि इस प्रकार ऐसी यूनिटों को अंतरित किए जाने के बावजूद भी ऐसी यूनिटों पर जो लॉक-इन हो वह शेष अविध के लिए भी जारी रहेगा, और जिसे वे यूनिटें अंतरित (ट्रांसफर) की गई हों वह तब तक वे यूनिटें किसी और को अंतरित (ट्रांसफर) नहीं कर सकेगा जब तक उनकी लॉक-इन की अविध पूरी न हो जाए।

स्पष्टीकरण:- जिस इनविट के प्रायोजकों (स्पॉन्सर) की संख्या एक से ज्यादा हो, उस इनविट के मामले में किसी एक प्रायोजक या उसके प्रायोजक समूह की एंटिटियों के पास जो यूनिटें हों यदि वे लॉक-इन रखी हुई हों, तो उन्हें केवल ऐसे प्रायोजक (स्पॉन्सर) या उसके प्रायोजक समूह (स्पॉन्सर ग्रुप) की एंटिटियों के बीच आपस में ही अंतरित (ट्रांसफर) किया जा सकेगा, और जिन्हें किसी दूसरे प्रायोजक या उनके प्रायोजक समृह की एंटिटियों को अंतरित (ट्रांसफर) नहीं किया जाएगा:

परंतु यह और कि यदि प्रायोजक (स्पॉन्सर) में बदलाव हो जाए, तो ऐसे में जाने वाले प्रायोजक या उसके प्रायोजक समूह की एंटिटियों के पास जो यूनिटें हों यदि वे लॉक-इन रखी हुई हों, तो उन्हें आने वाले प्रायोजक या उसके प्रायोजक समूह की एंटिटियों को अंतरित (ट्रांसफर) किया जा सकेगा, बशर्ते कि आने वाले प्रायोजक या उसके प्रायोजक समूह की एंटिटियों के पास इस प्रकार यूनिटें अंतरित होने के बाद उतनी यूनिटें अवश्य रहें जितनी कम से कम होनी चाहिए:

परंतु यह और कि स्व-प्रायोजित निवेश प्रबंधक (सेल्फ स्पॉन्सर्ड मैनेजर) बन जाने पर, जाने वाले प्रायोजक या उसके प्रायोजक समूह की एंटिटियों के पास जो यूनिटें हों यदि वे लॉक-इन रखी हुई हों, तो उन्हें स्व-प्रायोजित निवेश प्रबंधक या उसके शेयरधारकों या स्व-प्रायोजित निवेश प्रबंधक की ग्रुप एंटिटियों को अंतरित (ट्रांसफर) किया जा सकेगा, बशर्ते कि स्व-प्रायोजित निवेश प्रबंधक या उसके शेयरधारक या स्व-प्रायोजित निवेश प्रबंधक की ग्रुप एंटिटियों के पास इस प्रकार यूनिटें अंतरित होने के बाद उतनी यूनिटें अवश्य रहें जितनी कम से कम होनी चाहिए।"

### (4) विनियम 18 में,

- (क) उप-विनियम (5) में, खंड (ख) में,
  - i. उप-खंड (v) में, चिह्न तथा शब्द ", अर्थसुलभ पारस्परिक निधियों (लिक्विड म्यूचुअल फंड)" हट जाएँगे; और
  - ii. उप-खंड (v) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-
    - "(vi) जो कंपनी प्रॉजेक्ट मैनेजमेंट [प्रोजेक्ट (परियोजना) से संबंधित रोजमर्रा के कामकाज] और ऐसी ही दूसरी संबंधित सेवाएँ प्रदान करती हो, उसके असूचीगत (अनलिस्टिड) इक्विटी शेयरों में, बशर्ते कि:
      - क. ये सेवाएँ केवल इनविट, उसकी नियंत्री कंपनी (होल्डिंग कंपनी / धारिता कंपनी) और एसपीवी (खास उद्देश्य से बनी कंपनी / विशेष प्रयोजन माध्यम / स्पेशल पर्पज व्हीकल) को ही प्रदान की जा रही हों: और
      - ख. ऐसी कंपनी की समस्त हिस्सेदारी या उसका समस्त हित इनविट के पास हो, फिर चाहे सीधे तौर पर हो या फिर उसकी होल्डिंग कंपनी (नियंत्री कंपनी) [होल्डिंग कंपनियों] या एसपीवी के माध्यम से हो।
    - (vii) म्यूचुअल फंड की जिन लिक्किड स्कीमों की 'क्रेडिट रिस्क वैल्यू' कम से कम 12 हो और जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए 'पोटेंशियल रिस्क क्लास मैट्रिक्स' में श्रेणी – ए-I के दायरे में आती हों, उनकी यूनिटों में;
    - (viii) इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव (जिनमें इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, फॉरवर्ड रेट कॉण्ट्रैक्ट और इंटरेस्ट रेट स्वैप भी शामिल हैं) में, बशर्ते कि:
    - क. इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में निवेश केवल मौजूदा उधारों के ब्याज दर से जुड़े जोखिम की हैजिंग करने के उद्देश्य से ही किया जाए, और जो लागू भारतीय लेखा मानकों (इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स) के अनुसार हैजिंग करने का एक सही जरिया हो;
    - ख. ऐसा निवेश केवल उस इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव के यूज़र या ग्राहक के तौर पर ही किया जाए, और जो मार्केट मर्किंग के उद्देश्य से न किया जाए;
    - ग. इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में किए गए निवेश के बारे में वार्षिक रिपोर्ट में पर्याप्त जानकारी दी जाए;
    - घ. इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में किए गए निवेश का मूल्यांकन (वैल्यूएशन) करने के लिए वही मानदंड अपनाए जाएँ, जो म्यूचुअल फंड के मामले में अपनाए जाते हैं; और
    - ङ. इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव के ग्राहकों या यूज़र के मामले में जो अपेक्षाएँ लागू होती हैं (जिनमें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई अपेक्षाएँ भी शामिल हैं), उनका पालन किया जाए।"
- (ख) उप-विनियम (6) में, खंड (खक) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-"(खख) इनविट की सभी संपत्तियों आदि (असेट) से आया पैसा (हुआ कैश फ्लो) हिसाब में लिया जाएगा।"

- (5) विनियम 20 में, उप-विनियम (3) में,
  - i. खंड (क) में, शब्दों तथा चिह्नों "बोर्ड से रिजस्ट्रीकृत साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करेगा" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "बोर्ड से रिजस्टर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (साख निर्धारण एजेंसी) से इनविट की क्रेडिट रेटिंग [इश्युअर (निर्गमकर्ता) के तौर पर] प्राप्त करेगा" आ जाएँगे;
  - ii. खंड (ख) में,
    - क. उप-खंड (i) में,
      - (क) शब्द तथा चिह्न "अपने समेकित उधार और प्रस्तावित उधार हेतु," हट जाएँगे; और
      - (ख) शब्दों तथा चिह्नों "बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी से "एएए" या उसके समतुल्य की क्रेडिट रेटिंग" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "बोर्ड से रजिस्टर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (साख निर्धारण एजेंसी) से "एएए" या उसके बराबर की इनविट की क्रेडिट रेटिंग [इश्युअर (निर्गमकर्ता) के तौर पर]" आ जाएँगे;

## ख. उप-खंड (iii) में,

- (क) शब्दों तथा चिह्नों "उस वित्तीय वर्ष से पहले के वर्षों में कम से कम छह वितरणों (डिस्ट्रीब्यूशन्स) का पिछला रिकॉर्ड (ट्रैक रिकॉर्ड) हो, जिस वित्तीय वर्ष में और उधार लिए जाने का प्रस्ताव हो" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "जिस तारीख को और उधार लिए जाने का प्रस्ताव हो उस तारीख से पहले आने वाली तिमाही की समाप्ति तक की स्थिति के अनुसार ऐसा पिछला रिकॉर्ड हो कि उसने कम से कम छह बार धनराशि बाँटी हो (वितरण / डिस्ट्रीब्यूशन किए हों)" आ जाएँगे;
- (ख) चिह्न ";" के स्थान पर चिह्न ":" आ जाएगा; और
- (ग) निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्, -

"परंतु यह कि सतत आधार पर छह बार धनराशि बाँटी गई है या नहीं, इसकी गणना करते समय किसी एक तिमाही में एक बार बाँटी गई धनराशि को ही गिना जाएगा, फिर भले ही उस तिमाही में कितनी भी बार धनराशि क्यूँ न बाँटी गई हो, और यह भी देखा जाएगा कि इस प्रकार जो धनराशि बाँटी गई है वह यूनिटधारकों को धनराशि बाँटे जाने के संबंध में बताई गई नीति (डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी) के अनुसार ही बाँटी गई है;"

- (6) विनियम 26छ में, स्पष्टीकरण में, खंड (v) में, शब्दों "के संदर्भ में लगाया जाएगा" के बाद चिह्न, शब्द तथा अंक ", हालाँकि इन विनियमों के तहत निवेश प्रबंधक के मामले में जहाँ कहीं भी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ], 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2015] का विनियम 19(1) लागू होता हो, वहाँ उनका अर्थ "स्वतंत्र निदेशक" के संदर्भ में नहीं लगाया जाएगा" जोड़े जाएँगे;
- (7) विनियम 26ज में, उप-विनियम (1) में,
  - i. चिह्न "।" के स्थान पर चिह्न ":" आ जाएगा;
  - ii. निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि यदि निवेश प्रबंधक के यहाँ निदेशक का पद खाली हो जाने की वजह से, निवेश प्रबंधक के स्तर पर इससे संबंधित प्रावधान का पालन न हो पा रहा हो, तो ऐसे में निवेश प्रबंधक वह खाली पद निम्नानुसार भरेगा –

क. यदि निदेशक का कार्यकाल समाप्त हो जाने की वजह से पद खाली हो रहा हो, तो ऐसे में वह पद उस तारीख तक अवश्य भरना होगा जिस तारीख को वह खाली होने वाला हो; या

- ख. यदि वह पद किसी और वजह से खाली हो रहा हो, तो ऐसे में वह पद जल्द से जल्द, किंतु पद खाली होने की तारीख से तीन महीनों की अवधि के भीतर, भरना होगा।"
- (8) अनुसूची-VII में, खंड (ग) में, शब्दों "निवेश प्रबंधक" के स्थान पर शब्द "इनविट" आ जाएगा;
- (9) अनुसूची-IX के बाद निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगा, अर्थात्,-

## "अनुसूची-X

## ट्रस्टी (न्यासियों) की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ क्या-क्या हो सकती हैं, उनका उदाहरण [विनियम 9(23) देखें]

#### 1. संपत्ति आदि के प्रबंधन पर नज़र रखना:

ट्रस्टी:

- i. इनविट की संपत्तियों आदि (असेट) के निरीक्षण खुद वहाँ नियमित रूप से जाकर करेगा: और
- ii. इस पर नज़र रखेगा कि सुरक्षा तथा इस्तेमाल आदि के संबंध में अपनाए जाने वाले मानदंडों के लिहाज से संपत्तियों आदि का रखरखाव किया जा रहा है या नहीं और उन मानदंडों का पालन किया जा रहा है या नहीं।

## 2. विनियमों (रेग्यूलेशन) के प्रावधानों का पालन का पालन और उनकी जानकारी देना:

- ं. ट्रस्टी समय-समय पर सेबी को इस बात की पुष्टि करेगा कि ट्रस्टी इनविट की जिन यूनिटों के प्रबंधन का कार्य देखते हैं उन यूनिटों से संबंधित कोई भी लेनदेन (ट्रांजेक्शन) उन्होंने नहीं किया है।
- ii. ट्रस्टी यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश प्रबंधक उसे जानकारी आदि प्रस्तुत करे, जिसमें शामिल है:
  - क) यूनिटधारकों की सूची (हर तिमाही में);
  - ख) इनविट के पास एसपीवी, होल्डिंग कंपनी (नियंत्री कंपनी) और इन्वेस्टमेंट एंटिटी के कितने शेयर पड़े हैं और यदि उसमें कोई बदलाव हुआ हो, तो उसकी जानकारी (हर तिमाही में);
  - ग) लीवरेज के संबंध में निर्धारित सीमा के पालन के संबंध में पृष्टि [हर तिमाही में और उस समय जब संपत्तियों आदि (असेट) को खरीदा और बेचा जा रहा हो];
  - घ) ट्रस्टी किसी खरीद के संबंध में पूरी सावधानी बरते जाने संबंधी रिपोर्ट (ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट) या ऐसी ही दूसरी जानकारी के लिए अनुरोध कर सकेगा;
  - ङ) निवेश प्रबंधक से नेटवर्थ (शुद्ध-मालियत) संबंधी अपेक्षाओं का पालन किए जाने संबंधी प्रमाणपत्र (हर छमाही में);
  - च) चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रायोजक (स्पॉन्सर) और निवेश प्रबंधक द्वारा नेटवर्थ (शुद्ध-मालियत) संबंधी अपेक्षाओं का पालन किए जाने संबंधी प्रमाणपत्र (हर वर्ष); और
  - छ) जो धनराशि बाँटी जानी हो, उसमें से पिछली तिमाही तक जितनी धनराशि के लिए दावे न किए गए हों उनके ब्यौरों के संबंध में पुष्टि;
- iii. ट्रस्टी यह सुनिश्चित करेगा कि कुल मिलाकर जितनी धनराशि बाँटी जानी हो (जितना नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो हो), वह निवेश प्रबंधक द्वारा इन विनियमों और ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) के अनुसार बाँट दी जाए।

iv. यदि ट्रस्टी का यह मानना हो कि इनविट का कामकाज इन विनियमों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो ऐसे में वह तुरंत जरूरी कदम उठाएगा, और इस मामले की जानकारी यूनिटधारकों तथा बोर्ड को तुरंत देते हुए यह भी बताएगा कि क्या उल्लंघन हुआ और उसने इस पर क्या कार्रवाई की।

#### 3. प्रबंध-मंडल के कामकाज पर नज़र रखना:

 ं. ट्रस्टी वार्षिक आधार पर या जब जरूरी लगे निवेश प्रबंधक के विरष्ठ प्रबंध-मंडल और लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के साथ बैठक करेगा।

#### 4. जरूरी जानकारी और दस्तावेज रखना:

#### ट्रस्टी:

- निवेश प्रबंधक से कामकाज के संबंध में, वित्तीय स्थिति के संबंध में, और पालन की स्थिति के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट एवं दस्तावेज मांगेगा और उनकी समीक्षा करेगा।
- ii. निवेश प्रबंधक से पूरी सावधानी बरते जाने संबंधी रिपोर्टें (ड्यू डिलिजेंस रिपोर्टें) प्रस्तुत करने, नेटवर्थ (शुद्ध-मालियत) संबंधी अपेक्षाओं के पालन संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने, और जो धनराशि बाँटे जाने की बात कही गई हो, उसमें से जितनी धनराशि के संबंध में दावे प्रस्तुत न किए गए हों उनके संबंध में पृष्टियाँ करने के लिए कहेगा।

#### रिकॉर्ड रखना:

#### ट्रस्टी:

- इन विनियमों (रेग्यूलेशन) के विनियम 26(2) का पालन किए जाने के संबंध में निवेश प्रबंधक द्वारा रखे गए जरूरी रिकॉर्ड माँगेगा।
- ii. ट्रस्टी के समस्त कामकाज, न्यासी द्वारा लिए गए सभी निर्णयों और किए गए अहम लेनदेन (ट्रांजैक्शन) का व्यापक और व्यवस्थित रिकॉर्ड रखेगा, ताकि जवाबदेही तय की जा सके और लेखापरीक्षा (ऑडिट) करने में आसानी हो।

## 6. व्यवहार और हितों का टकराव (हित-विरोध):

#### ट्रस्टी:

- यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश प्रबंधक किसी भी सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) को किसी भी तरह का कोई अनुचित फायदा न पहुँचाए या निवेश प्रबंधक के किसी भी सहयोगी से इस तरह से डील न करे कि उसकी वजह से यूनिटधारकों के हितों को नुकसान पहुँचे;
- ii. यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश प्रबंधक अपनी नेटवर्थ (शुद्ध-मालियत) की रकम का इस तरह से निवेश करे कि उसकी वजह से यूनिटधारकों के हितों पर कोई आँच न आए;
- iii. यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश प्रबंधक इनविट को इस तरह से चलाए कि उनका निवेश प्रबंधक के दूसरे कार्यों आदि से कोई सरोकार न रहे और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए कि इनविट या निवेश प्रबंधक के किन्हीं दूसरे कार्यों आदि की वजह से इनविट के निवशकों के हित पर कोई आँच न आए; और
- iv. इन विनियमों की अनुसूची-VI में दी हुई आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) का पालन करेगा।

## 7. लेखापरीक्षा (ऑडिट) और वित्तीय विवरणों आदि की समीक्षा:

ट्रस्टी:

- इन विनियमों तथा ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) के प्रावधानों के अनुसार संबंधित इनविट के फंड (पैसों) और संपत्तियों के लिए जिम्मेदार होगा, और उनका कस्टोडियन (अभिरक्षक) भी होगा, और जो उन्हें यूनिटधारकों के हित में ट्रस्ट में रखेगा; और
- ii. निवेश प्रबंधक के नेटवर्थ (की शुद्ध-मालियत) की छमाही आधार पर समीक्षा करेगा, ताकि इन विनियमों में नेटवर्थ के संबंध में दी गई अपेक्षाओं का सदैव पालन होता रहे।

## 8. पूरी सावधानी बरतना (ड्यू डिलिजेंस करना):

i. न्यासी निम्नानुसार पूरी सावधानी बरतेगा (ड्यू डिलिजेंस करेगा):

#### क. आम तौर पर बरती जाने वाली सावधानी:

टस्टी:

- क) निवेश प्रबंधक के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति सोच-विचारकर करेगा।
- ख) यदि इनविट के संबंध में काफी ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिले, तो ऐसे में यह समीक्षा करेगा कि उस निवेश प्रबंधक की कोई जरूरत है भी या नहीं:
- ग) यह सुनिश्चित करेगा कि ट्रस्ट की संपत्ति पर कोई आँच न आए, और जो सही लोगों के हाथों में रहे और वे उसे सही ढंग से संभालें, और साथ ही साथ इस काम के लिए जितने लोगों की जरूरत हो उतने लोग इस काम में लगाए जाएँ;
- घ) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सेवा प्रदाताओं (सर्विस प्रोवाइडर) के पास या तो बोर्ड से या फिर संबंधित विनियामक प्राधिकरण (रेग्यूलेटरी अथॉरिटी) से मिले वे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अवश्य हों, जो वही सेवाएँ प्रदान करने के संबंध में मिले हों जो सेवाएँ वे प्रदान करने वाले हों:
- ङ) सेवाएँ लेने हेतु जो भी करार आदि (कॉण्ट्रैक्ट) किए जाएँ उन्हें जाँचने-परखने की व्यवस्था करेगा; और
- च) ट्रस्ट के संबंध में यदि कुछ नया हो जाए, तो उसकी जानकारी बोर्ड को तुरंत दी जाए।

#### ख. विशेष तौर पर बरती जाने वाली सावधानी:

ट्रस्टी:

- क) निवेश प्रबंधक द्वारा नियुक्त किए गए लेखापरीक्षकों (ऑडिटर) से निवेश प्रबंधक और इनविट, उसकी होल्डिंग (नियंत्री) कंपनियों और एसपीवी की लेखापरीक्षा (ऑडिट) रिपोर्टें नियमित रूप से लेगा;
- ख) कंपनी सचिव (कंपनी सेक्रेटरी) द्वारा दी जाने वाली अनुपालन रिपोर्टें (सेक्रेटेरियल कम्प्लायंस रिपोर्टें) निवेश प्रबंधक से लेगा;
- ग) इनविट के लेखापरीक्षक (ऑडिटर) से मिली रिपोर्टों और कंपनी सचिव (कंपनी सेक्रेटरी) द्वारा दी जाने वाली अनुपालन रिपोर्टों (सेक्रेटेरियल कम्प्लायंस रिपोर्ट) पर उनके बोर्ड की बैठकों में विचार-विमर्श करेगा, ताकि उनके संबंध में उचित कार्रवाई की जा सके:

- घ) इनविट के कामकाज की हर तिमाही में समीक्षा करेगा और उससे संबंधित रिपोर्ट उनके निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा;
- ङ) निवेश प्रबंधक के लेखापरीक्षक (ऑडिटर) से मिली रिपोर्टों और पालन संबंधी रिपोर्टों पर उनके बोर्ड की बैठकों में विचार-विमर्श करेगा, ताकि उनके संबंध में उचित कार्रवाई की जा सके:
- च) ट्रस्टी के निदेशक मंडल की उन बैठकों के रिकॉर्ड तथा उन बैठकों में हुई चर्चा / लिए गए निर्णयों का ब्यौरा (का कार्यवृत्त / मिनट्स) रखेगा, जिन बैठकों में इनविट से संबंधित जानकारी की समीक्षा की गई हो:
- छ) ट्रस्टी के लिए, निवेश प्रबंधक के लिए और उसके कर्मचारियों के लिए सदाचार संहिता (कोड ऑफ एथिक्स) बनाएगा और उनका पालन सुनिचित करेगा; और
- ज) पाई गई किमयों से निवेश प्रबंधक को लिखित में अवगत कराएगा और इस पर भी नज़र रखेगा कि उन किमयों को दूर करने के लिए निवेश प्रबंधक द्वारा जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं या नहीं।
- ii. ट्रस्टी उन मामलों के संबंध में भी पूरी सावधानी बरतेगा (डयू डिलिजेंस करेगा), जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताए जाएँ।"

प्रमोद राव, कार्यपालक निदेशक [विज्ञापन-III/4/असा./03/2025-26]

## पाद टिप्पण:

- 1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014, सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2014-15/10/1577, 26 सितम्बर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।
- 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 तत्पश्चात् -
  - क. 30 नवम्बर, 2016 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/021, द्वारा
  - ख. 6 मार्च, 2017 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038, द्वारा
  - ग. 15 दिसम्बर, 2017 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/024, द्वारा
  - घ. 10 अप्रैल, 2018 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2018 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/07, द्वारा
  - ङ. 22 अप्रैल, 2019 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2019 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/10, द्वारा
  - च. 2 मार्च, 2020 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2020 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/05, द्वारा
  - छ. 17 अप्रैल 2020 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
  - ज. 16 जून, 2020 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/15, द्वारा

- झ. 30 जुलाई, 2021 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2021 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/27, द्वारा
- ञ. 31 अगस्त, 2021 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा
- ट. 4 मई, 2022 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/83, द्वारा
- ठ. 1 जनवरी, 2023 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/101, द्वारा
- ड. 14 फरवरी, 2023 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023-122, द्वारा
- ढ. 4 जुलाई, 2023 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा
- ण. 16 अगस्त, 2023 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/145, द्वारा
- त. 18 अगस्त, 2023 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/146, द्वारा
- थ. 23 अक्तूबर, 2023 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/159, द्वारा
- द. 27 मई, 2024 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/182, द्वारा
- ध. 13 जुलाई, 2024 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/192, द्वारा
- न. 27 सितम्बर, 2024 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/207, द्वारा
- प. 10 फरवरी, 2025 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेशक चार्टर) (संशोधन) विनियम, 2025, अधिसूचना फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/228, द्वारा

संशोधित हुए थे।

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 1st April 2025

#### SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

#### (INFRASTRUCTURE INVESTMENT TRUSTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/240.**—In exercise of the powers conferred under section 30 read with sections 11 and 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, namely: —

- 1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2025.
- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, —
- (1) in regulation 4, in sub-regulation (2), in clause (e), in sub-clause (v),

- (a) the symbol ";" shall be substituted with the symbol ":"; and
- (b) the following proviso shall be inserted -

"Provided that if by a vacancy in the office of an independent director of the investment manager, the investment manager becomes non-compliant with such requirement, such vacancy shall be filled by the investment manager as follows –

- A. if such vacancy arises due to expiry of the term of office of the independent director, then the resulting vacancy shall be filled not later than the date such office is vacated; or
- B. if such vacancy arises due to any other reason, then the resulting vacancy shall be filled at the earliest and not later than three months from the date of such vacancy."
- (2) in regulation 9, after sub-regulation (22), the following sub-regulations shall be inserted, namely,
  - "(23) The trustee shall,
    - (a) comply with the core principles defining its roles and responsibilities which shall encompass transparency, accountability, due diligence and compliance with these regulations; and
    - (b) act impartially in their fiduciary capacity, prioritize protection of the interests of unitholders, ensure effective management oversight over the investment manager and the InvIT and maintain high standards of governance of the investment manager and the InvIT.

Explanation: — For the purposes of this sub-regulation, —

- (a) An illustrative list of roles and responsibilities to guide the trustee is specified in Schedule X; and
- (b) The trustee shall adopt additional measures or responsibilities crucial for meeting the overarching principles of their role and responsibilities:

Provided that this sub-regulation shall come into force on the one-hundred eightieth day from the date of the publication of Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2025 in the Official Gazette.

- (24) For the purpose of ensuring compliance with sub-regulation (23), the trustee may engage external consultants during the period of eighteen months from the date of the publication of Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2025 in the Official Gazette."
- (3) in regulation 12, in sub-regulation (5), the following provisos and explanation shall be inserted, namely, "Provided that locked-in units held by a sponsor or its sponsor group entities may be transferred only
  amongst such sponsor or its sponsor group entities subject to the condition that lock-in on such units shall
  continue for the remaining period with the transferee and such transferee shall not be eligible to transfer
  such units till the lock-in period has expired.

Explanation: — In case of an InvIT with multiple sponsors, the locked in units held by a sponsor or its sponsor group entities can be transferred only amongst such sponsor or its own sponsor group entities and shall not be transferred to any other sponsor or their sponsor group entities.

Provided further that in case of change in sponsor, locked-in units held by the outgoing sponsor or its sponsor group entities may be transferred to the incoming sponsor or its sponsor group entities subject to the condition that the incoming sponsor or its group entities shall meet the minimum unitholding requirements after the transfer:

Provided also that in case of conversion to self-sponsored investment manager, locked-in units held by the outgoing sponsor or its sponsor group entities may be transferred to the self-sponsored investment manager or its shareholders or group entities of self-sponsored investment manager subject to the condition that the

self-sponsored investment manager or its shareholders or group entities of self-sponsored investment manager shall meet the minimum unitholding requirements after the transfer."

- (4) in regulation 18,
  - (a) in sub-regulation (5), in clause (b),
    - i. in sub-clause (v), the words ", liquid mutual funds" shall be omitted; and
    - ii. after sub-clause (v), the following clauses shall be inserted, namely, –
    - "(vi) unlisted equity shares of a company which provides project management and other incidental services, subject to the following conditions:
      - A. such services are provided exclusively to the InvIT, its HoldCo(s) and SPV(s); and
      - B.the entire shareholding or interest in such company is held by the InvIT either directly or through its HoldCos or SPVs.
    - (vii) units of liquid mutual funds schemes where the credit risk value is at least 12 and which fall under the Class A-I in the potential risk class matrix as specified by the Board;
    - (viii) interest rate derivatives, including interest rate futures, forward rate contract and interest rate swap, subject to the following conditions:
      - A. investment in interest rate derivative shall be solely to hedge an underlying interest rate risk in the existing borrowings which qualifies as an effective hedge as per the applicable Indian Accounting Standards;
      - B. that such investment shall only be made as a user or a client of such interest rate derivative, and shall not be in the nature of market making;
      - adequate disclosures regarding investment in interest rate derivative shall be made in the annual report;
      - D. for valuation of the investment in interest rate derivative, norms applicable for Mutual Funds shall be followed; and
      - E.the requirements applicable to the clients or users of interest rate derivatives, including those specified by the Reserve Bank of India, are complied with."
  - (b) in sub-regulation (6), after clause (ba), the following clause shall be inserted, namely,—
    - "(bb) cash flows generated by all InvIT assets shall be considered."
- (5) in regulation 20, in sub-regulation (3),
  - i. in clause (a), the words "credit rating from" shall be substituted with the words "issuer credit rating of the InvIT from"; and
  - ii. in clause (b),
    - A. in sub-clause (i), the words,
      - a. "a credit rating of" shall be substituted with the words "issuer credit rating of the InvIT of", and
      - b. "for its consolidated borrowing and the proposed borrowing," shall be omitted;
    - B. in sub-clause (iii),
      - a. the words "in the years preceding the financial year in which" shall be substituted with the words "as at the end of the quarter preceding the date on which";
      - b. the symbol ";" shall be substituted with the symbol ":"; and
      - c. the following proviso shall be inserted, namely, –

"Provided that for computing six continuous distributions, maximum one distribution per quarter shall be considered and the distributions shall be consistent with the distribution policy disclosed to the unitholders;"

- (6) in regulation 26G, in explanation, in clause (v), the words "except for the purpose of regulation 19(1) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as applicable to the investment manager under these regulations." shall be inserted after the words "shall be read as "independent director";
- (7) in regulation 26H, in sub-regulation (1),
  - i. the symbol "." shall be substituted with the symbol ":"; and
  - ii. the following shall be inserted as a proviso, namely, -

"Provided that if by a vacancy in the office of a director of the investment manager, the investment manager becomes non-compliant with such requirement, such vacancy shall be filled by the investment manager as follows -

- A. if such vacancy arises due to expiry of the term of office of the director, then the resulting vacancy shall be filled not later than the date such office is vacated; or
- B. if such vacancy arises due to any other reason, then the resulting vacancy shall be filled at the earliest and not later than three months from the date of such vacancy."
- (8) in schedule VII, in clause (c), the words "investment manager" shall be substituted with the words "InvIT";
- (9) after Schedule IX, the following shall be inserted as a schedule, namely, –

# "Schedule – X Illustrative Roles and Responsibilities of Trustees [See regulation 9(23)]

#### 1. Asset Management Oversight:

The trustee shall:

- i. conduct regular physical inspections of InvIT assets; and
- ii. supervise the maintenance and compliance of assets with safety and operational standards.

#### 2. Regulatory Compliance and Reporting:

- i. The trustee shall provide periodic confirmations to SEBI that trustees have not engaged in transactions involving the units of the InvIT they manage.
- ii. The trustee shall ensure that the investment manager submits information to the trustees including:
  - a) List of unitholders on quarterly basis;
  - b) Shareholding of InvIT in SPV, HoldCo and Investment entity and changes if any on a quarterly basis;
  - Confirmation on compliance with leverage limit on a quarterly basis and at the time of acquisition and disposal of assets;
  - d) Trustee may request for due diligence report or such other information in respect of any acquisition;
  - e) Net worth compliance certificate from investment manager on a half yearly basis;
  - f) Net worth compliance certificate of sponsor and investment manager from practicing Chartered Accountant on an annual basis; and
  - g) Confirmation on the details of unclaimed distributions till the previous quarter.
- iii. The trustee shall ensure that the distribution of net distributable cash flow has been made by the investment manager in accordance with these regulations and the trust deed.
- iv. Where the trustee has reason to believe that the conduct of business of the InvIT is not in accordance with these regulations they shall forthwith take such remedial steps as are necessary by them and shall immediately inform the unitholders and the Board of the violation and the action taken by them.

#### 3. Managerial Oversight:

i. The trustee shall hold annual and as-needed meetings with the investment manager's senior management and the chairperson of the audit committee.

#### 4. Information and Documentation:

The trustee shall:

- i. request and review detailed reports and documents from the investment manager regarding the operational, financial, and compliance status of the InvIT; and
- ii. require investment manager to provide due diligence reports, net worth compliance certificates, and confirmations of unclaimed distributions.

#### 5. Record-Keeping:

The trustee shall:

- i. seek necessary records maintained by the investment manager for compliance with regulation 26(2) of these regulations; and
- ii. maintain comprehensive and systematic records of all trustee activities, decisions, and notable transactions to ensure accountability and ease of audit.

#### 6. Ethics and Conflict of Interest:

The trustee shall:

- i. ensure that the investment manager has not given any undue or unfair advantage to any associates or dealt with any of the associates of the investment manager in any manner detrimental to interest of the unitholders;
- ii. ensure that there is no conflict of interest between the manner of deployment of its net worth by the investment manager and the interest of the unitholders;
- iii. ensure that the investment manager manages the InvIT independently of other activities and have taken adequate steps to ensure that the interest of investors of the InvIT are not being compromised with other activities of the InvIT or the investment manager; and
- iv. abide by the Code of Conduct as specified in the Schedule VI of these regulations.

#### 7. Auditing and Financial Review:

The trustee shall:

- be accountable for, and be the custodian of, the funds and property of the respective InvIT and shall
  hold the same in trust for the benefit of the unitholders in accordance with these regulations and the
  provisions of trust deed; and
- ii. review the net worth of the investment manager on a half-yearly basis to ensure compliance with the threshold provided in these regulations on a continuous basis.

#### 8. **Due Diligence:**

i. The trustee shall exercise due diligence as under:

#### A. General Due Diligence:

The trustee shall:

- be discerning in the appointment of the directors on the Board of the investment manager;
- review the desirability or continuance of the investment manager if substantial irregularities are observed in the InvIT;
- c) ensure that the trust property is properly protected, held and administered by proper persons and by a proper number of such persons;
- d) ensure that all service providers are holding appropriate registrations from the Board or concerned regulatory authority;
- e) arrange for test checks of service contracts; and
- f) immediately report to the Board of any special developments in the trust.

#### B. Specific due diligence:

The trustee shall:

- a) obtain audit reports of the investment manager and the InvIT, its HoldCo(s) and SPV(s) at regular intervals from auditors appointed by the investment manager;
- b) obtain secretarial compliance reports from the investment manager;
- c) consider the reports of the auditor and secretarial compliance reports of InvIT at their board meetings for appropriate action;
- d) review the activity of the InvIT on a quarterly basis and place the report of the same before their Board of directors;
- e) consider the reports of the auditor and compliance reports of investment manager at their board meetings for appropriate action;
- f) maintain records and minutes of the Board of directors' meetings of the trustee for the review of information pertaining to the InvIT;
- g) prescribe and adhere to a code of ethics by the trustee, investment manager and its personnel; and
- communicate in writing to the investment manager of the deficiencies and check on necessary measures taken by investment manager for the rectification of deficiencies.
- ii. The trustee shall also exercise due diligence on such matters as may be specified by the Board from time to time."

PRAMOD RAO, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./03/2025-26]

#### **Footnotes:**

- 1. The Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 was published in the Gazette of India on September 26, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/10/1577.
- 2. The Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 was subsequently amended by the
  - a. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2016, vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/021, with effect from November 30, 2016.
  - b. Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017, vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38, with effect from March 6, 2017.
  - c. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2017, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/024, with effect from December 15, 2017.
  - d. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2018, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/07, with effect from April 10, 2018.
  - e. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2019, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/10, with effect from April 22, 2019.
  - f. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2020, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/05, with effect from March 02, 2020.
  - g. Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10, with effect from April 17, 2020.
  - h. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Second Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/15, with effect from June 16, 2020.
  - i. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/27, with effect from July 30, 2021.

- j. Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30, with effect from August 31, 2021.
- k. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/83, with effect from May 4, 2022.
- 1. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/101 with effect from January 1, 2023.
- m. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/122 with effect from February 14, 2023.
- n. Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD–NRO/GN/2023/137 with effect from July 4, 2023.
- O. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/145 with effect from August 16, 2023.
- p. Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment)
  - Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146 with effect from August 18, 2023
- q. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Third Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/159 with effect from October 23, 2023.
- r. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2024 vide notification No. LAD-NRO/GN/2024/182 with effect from May 27, 2024.
- s. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/192 with effect from July 13, 2024.
- t. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Third Amendment) Regulations, 2024 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/207 with effect from September 27, 2024.
- u. Securities and Exchange Board of India (Investor Charter) (Amendment) Regulations, 2025 vide notification F No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/228 with effect from February 10, 2025.